

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-08-2025

- » विषय सूची
 - » मुक्त बाजार पूंजीवाद और राज्य पूंजीवाद मॉडल
 - » भारतीय निर्यात पर अमेरिका का 50% टैरिफ और इसके निहितार्थ
 - » हरित गतिशीलता के लिए भारत की विद्त प्रगति
 - » संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई गवर्नेंस पर वैश्विक सहयोग को शुरू
 - » भारत द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी

संक्षिप्त समाचार

- » ग्लैंडर्स पर संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना
 - » संवत्सरी
 - » शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+)
 - » पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन और विस्तार
 - » ब्राउन ड्वाफर्स
 - » राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
 - » अभ्यास ब्राइट स्टार 2025

मुक्त बाजार पूँजीवाद और राज्य पूँजीवाद मॉडल

संदर्भ

- हाल ही में, अमेरिका ने 2022 के CHIPS और विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से आवंटित धन का उपयोग करके इंटेल में लगभग 10% इकिवटी हिस्सेदारी प्राप्त करने का निर्णय लिया।
 - यह राज्य पूँजीवाद मॉडल को परिभाषित करने वाले उच्च तकनीक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप के एक नए युग का संकेत देता है।

मुक्त बाजार पूँजीवाद और राज्य पूँजीवाद मॉडल

- मुक्त बाजार पूँजीवाद की विशेषता संसाधनों का निजी स्वामित्व, स्वैच्छिक विनियम और सीमित राज्य विनियमन है।
 - सरकार की भूमिका मुख्यतः अनुबंधों को लागू करने, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने तक ही सीमित है।
 - यह एडम स्मिथ के 'अदृश्य हाथ' सिद्धांत के अनुरूप है, जहाँ स्वार्थ अनजाने में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है।
 - उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका और ऐतिहासिक रूप से ब्रिटेन, जहाँ विनियमन एवं निजीकरण केंद्रीय नीतियाँ रही हैं।
- राज्य पूँजीवाद: इसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ राज्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्सों का स्वामित्व या नियंत्रण रखता है, लेकिन फिर भी वैश्विक पूँजीवादी बाजारों के अंदर कार्य करता है।
 - इस मॉडल में, राज्य नियामक और भागीदार दोनों के रूप में कार्य करता है, प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा या दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले उद्योगों में निवेश करता है।
 - राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (SOE), संप्रभु धन कोष और सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक नीतियाँ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती हैं।
 - उदाहरण: चीन, सिंगापुर और कुछ मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाएँ जहाँ सरकारें वित्त, ऊर्जा या बुनियादी ढाँचे पर प्रभुत्वशाली हैं।

फ्रांस की डिरिगिस्मे: राज्य-प्रधान औद्योगिक रणनीति

- डिरिगिज्म फ्रांस के युद्धोत्तर आर्थिक मॉडल को संदर्भित करता है, जिसकी विशेषता अर्थव्यवस्था की एक सुदृढ़ राज्य दिशा है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
 - ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार जैसे प्रमुख उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व।
 - राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश, जिनमें एयरोस्पेस, परमाणु ऊर्जा और कंप्यूटिंग शामिल हैं।
- हालाँकि, 1980 और 1990 के दशक तक, डिरिगिज्म को अकुशलता को बढ़ावा देने, नवाचार को बाधित करने और अतिशयोक्तिपूर्ण नौकरशाही बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

ब्रिटेन की 'राष्ट्रीय चैंपियन' रणनीति

- यह ब्रिटेन का राजकीय पूँजीवाद का एक संस्करण है, जिसमें 'राष्ट्रीय चैंपियन' - वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकार द्वारा समर्थित बड़ी कंपनियों - को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें शामिल हैं:
 - ब्रिटिश लीलैंड (ऑटोमोबाइल) और रोल्स-रॉयस (एयरोस्पेस) जैसी कंपनियों के लिए सार्वजनिक सब्सिडी और संरक्षण।
 - पैमाने और वैश्विक पहुँच बनाने के उद्देश्य से विलय और अधिग्रहण के लिए राजनीतिक समर्थन।
 - रणनीतिक क्षमताओं को बनाए रखने के लिए वित्तीय संकट के समय राज्य द्वारा सहायता प्रदान करना।
- इसका उद्देश्य अमेरिका के साथ 'तकनीकी अंतर' को समाप्त करना था, लेकिन अधिकांश कंपनियाँ अकुशलता का सामना कर रहीं और नवाचार करने में विफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप थैरायर युग में निजीकरण का प्रश्न सामने आया।

शक्तियां और कमज़ोरियां

- राजकीय पूँजीवाद की क्षमता: संकट के दौरान घरेलू उद्योगों की रक्षा करने की क्षमता (आईएमएफ, 2020)
 - महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा) में राजनीतिक निवेश।
 - काल्पनिक बबल्स के जोखिम को कम करता है।
- राजकीय पूँजीवाद की कमज़ोरियाँ: भ्रष्टाचार, अकुशलता और नवाचार की कमी के जोखिम।
 - राजनीतिक हस्तक्षेप दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को विकृत कर सकता है।
- मुक्त बाज़ार पूँजीवाद की क्षमताएँ: नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
 - विनियमन और खुले बाजारों के माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
 - जब बाज़ार ठीक से काम करते हैं तो संसाधन आवंटन में कुशल।
- मुक्त बाज़ार पूँजीवाद की कमज़ोरियाँ: असमानता और सामाजिक बहिष्कार का खतरा।
 - वित्तीय संकटों और तेज़ी-मंदी के चक्रों के प्रति संवेदनशील।
 - कमज़ोर विनियमन एकाधिकार को जन्म दे सकता है।

समकालीन वैश्विक प्रासंगिकता

- चीन बनाम अमेरिका की प्रतिवृद्धिता राज्य-प्रधान और मुक्त-बाज़ार दृष्टिकोणों के मध्य टकराव का प्रतीक है।
- भारत एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाता है: आंशिक निजीकरण, और बैंकिंग एवं बुनियादी ढाँचे पर सुदृढ़ सरकारी नियंत्रण।
- कई पारंपरिक रूप से मुक्त-बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य-पूँजीवादी उपायों (सब्सिडी, बेलआउट, औद्योगिक नीतियाँ) को अपनाया, जिससे दोनों मॉडलों के बीच की सीमा धुंधली हो गई।

निष्कर्ष

- मुक्त बाज़ार पूँजीवाद गतिशीलता और नवाचार को बढ़ावा देता है, लेकिन असमानता एवं अस्थिरता का जोखिम भी सामना करता है। राज्य पूँजीवाद स्थिरता

और राजनीतिक विकास प्रदान कर सकता है, लेकिन अकुशलता एवं राजनीतिक परिवर्तन का जोखिम भी उठाता है।

- भारत सहित अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्थाएँ एक संकर स्पेक्ट्रम के अंतर्गत संचालित होती हैं, जिसमें बाज़ार प्रोत्साहनों को राज्य के हस्तक्षेप के साथ जोड़ा जाता है।

Source: TH

भारतीय निर्यात पर अमेरिका का 50% टैरिफ और इसके निहितार्थ

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय माल निर्यात पर 50% शुल्क लगाया है।

परिचय

- यह कदम जुलाई 2025 में घोषित 25% शुल्क और अगस्त 2025 में भारत के रूसी तेल और रक्षा आयात से जुड़ी अतिरिक्त 25% “दंडात्मक शुल्क” को मिलाकर लिया गया है।
- प्रभावित प्रमुख क्षेत्र:** वस्त्र, परिधान, रत्न और आभूषण, झींगा, कालीन, चमड़ा और फर्नीचर — ये सभी श्रम-प्रधान और रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं।
- शुल्क से मुक्त प्रमुख वस्तुएँ:** दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद।

GOODS SUBJECT TO 50% U.S. TARIFF

Product Group	Exports to US in 2024-25
Textiles and apparel	\$ 10.9 bn
Diamonds, gold and jewellery	\$ 10 bn
Machinery and mechanical appliances	\$ 6.7 bn
Agriculture, meat and processed food	\$ 6.0 bn
Steel, aluminium, copper	\$ 4.7 bn
Organic chemicals	\$ 2.7 bn
Shrimps	\$ 2.4 bn
Handicrafts	\$ 1.6 bn
Carpets	\$ 1.2 bn
Leather and footwear	\$ 1.2 bn
Furniture, bedding, mattresses	\$ 1.1 bn

Source: Ministry of Commerce & Industry, GTRI analysis

भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- व्यापार प्रभाव: भारत का अमेरिका को निर्यात FY25 में \$87 बिलियन से घटकर FY26 में \$49.6 बिलियन हो सकता है, जो 43% की गिरावट है।
 - अमेरिका भारत के कुल माल निर्यात का 20% और GDP का 2% भाग है।
- घरेलू चिंताएं और उद्योग की मांगें:
 - रत्न और आभूषण परिषद (GJEPC): प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए 25–50% शुल्क की प्रतिपूर्ति/ड्यूटी ड्रॉबैक योजना की मांग।
 - वस्त्र उद्योग: तत्काल नकद सहायता, ऋण स्थगन, और EU व अन्य भागीदारों के साथ FTA को शीघ्रता से पूरा करने की मांग ताकि निर्यात बाजारों में विविधता लाई जा सके।
 - रोजगार संरक्षण: सूरत (हीरा), तिरुपुर (वस्त्र), और आंध्र प्रदेश (झींगा पालन) जैसे श्रम-प्रधान निर्यात केंद्रों में बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका।
- लाभ उठाने वाले प्रतिस्पर्धी देश: वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर कम शुल्क दरें लागू हैं और वे भारत के खोए हुए बाजार भाग पर नियन्त्रण कर सकते हैं।

प्रभाव को कम करने के लिए भारत की पहलें

- ई-कॉमर्स निर्यात हब (ECEHs): ऑनलाइन निर्यातकों के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और कस्टम किलयरेस सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव।
- उद्योग हितधारकों से परामर्श: MSMEs, वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं के साथ चल रहे संवाद ताकि नियामक सुधारों का संतुलन बनाया जा सके।
- इन्वेंटरी-आधारित ई-कॉमर्स का परीक्षण: यह मॉडल MSMEs के लिए अनुपालन भार को कम कर सकता है — इस पर विचार-विमर्श जारी है।
- शुल्क वार्ता: वैश्विक संरक्षणवाद के बावजूद भारत के संवेदनशील निर्यात क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के प्रयास।

आगे की राह अल्पकालिक राहत उपाय:

- प्रभावित क्षेत्रों के लिए लक्षित सब्सिडी, ड्यूटी ड्रॉबैक या प्रतिपूर्ति योजनाएं।
- रोजगार छूटने से बचाने के लिए अस्थायी वित्तीय सहायता पैकेज।
- निर्यात बाजारों में विविधता:
 - EU, UK और खाड़ी देशों के साथ FTA वार्ताओं को तीव्र करना।
 - वस्त्र, रत्न और समुद्री उत्पादों के लिए अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों की खोज।
- प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:
 - वस्त्र और रत्न क्षेत्रों में तकनीक अपनाने, उत्पाद नवाचार एवं मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन।

Source: [IE](#)

हरित गतिशीलता के लिए भारत की विद्वत् प्रगति संदर्भ

- भारत ने फरवरी 2025 तक 56.75 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया है, जो स्वच्छ गतिशीलता को तीव्रता से अपनाने को दर्शाता है।

परिचय

- इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2W) की बिक्री 11.49 लाख इकाइयों तक पहुंच गई, जो विगत वर्ष की 9.48 लाख इकाइयों की तुलना में 21% अधिक है।
- भारत सरकार ने वैश्विक EV30@30 पहल के साथ सामंजस्य बनाते हुए 2030 तक 30% EV प्रवेश प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- भारत ने 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने का महत्वाकांक्षी हरित लक्ष्य तय किया है।
- भारत का उद्देश्य 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से नीचे लाना है और 2070 तक नेट-ज़रीरो राष्ट्र में बदलना है।

इलेक्ट्रिक वाहन क्या हैं?

- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एक इलेक्ट्रिक मोटर पर चलता है, पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन की बजाय जो ईंधन और गैसों के मिश्रण को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है।
- इसलिए, ऐसे वाहन को वर्तमान पीढ़ी के ऑटोमोबाइल का संभावित विकल्प माना जाता है ताकि बढ़ते प्रदूषण, वैश्विक तापन, और घटते प्राकृतिक संसाधनों जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।



अपनाने में चुनौतियाँ

- उच्च प्रारंभिक लागत:** भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।
 - इसमें वाहन के साथ-साथ बैटरी की लागत भी शामिल होती है।
- सीमित चार्जिंग अवसंरचना:** भारत में चार्जिंग अवसंरचना की उपलब्धता ईवी अपनाने में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
- रेंज चिंता:** बैटरी समाप्त होने और चार्जिंग स्टेशन तक न पहुँच पाने का भय भारतीय उपभोक्ताओं में सामान्य है।

- बैटरी तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला:** भारत लिथियम-आयन बैटरीयों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे लागत बढ़ती है और आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है।
- उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा:** कई भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ, तकनीक और उपलब्ध मॉडलों के बारे में जागरूक नहीं हैं।

सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक गतिशीलता मिशन योजना (2020)** और **FAME-I:** NEMMP को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उत्पादन को तीव्र करने के लिए लागू किया गया।
 - इसके अंतर्गत FAME इंडिया योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण) 2015 से 2019 तक लागू की गई।
- FAME II — चरण II:** 2019 में शुरू की गई योजना, ईवी अपनाने को बढ़ाने, ई-बस नेटवर्क का विस्तार करने और चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने पर केंद्रित है।
- ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI-Auto):** 2021 में शुरू की गई योजना, उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों (AAT) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
 - टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्रमुख खिलाड़ी ईवी उत्पादन में बड़े निवेश कर रहे हैं।
 - एक प्रमुख शर्त यह है कि कंपनियों को प्रोत्साहन पाने के लिए कम से कम 50% घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) सुनिश्चित करना होगा।
- PM ई-ड्राइव:** यह योजना 2024 में शुरू हुई और 2028 तक लागू की जा रही है।
 - इसका मुख्य उद्देश्य ईवी खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान कर और चार्जिंग अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित कर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण को तीव्र करना है।

- भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना 2024 (SPMEPCI): वैश्विक ऑटो निर्माताओं को निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु, इस योजना के तहत अनुमोदित आवेदकों को USD 35,000 के न्यूनतम CIF मूल्य वाले इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों (e-4W) की पूरी तरह निर्मित इकाइयों (CBUs) को 15% की कम सीमा शुल्क दर पर आयात करने के लिए पांच वर्ष की अवधि दी जाती है।
- इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI): नीति आयोग ने 2025 में IEMI लॉन्च किया।
 - यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्रगति को ट्रैक, माप और तुलना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - हालिया IEMI स्कोर में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ को 'फ्रंटरनर' के रूप में स्थान दिया गया है।

नीति आयोग के सुझाव

- प्रोत्साहनों से अनिवार्यता की ओर बढ़ना: शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) अपनाने के लिए स्पष्ट नीति और लक्ष्य समयसीमा की घोषणा करें।
 - ICE वाहनों के उपयोग/उत्पादन को हतोत्साहित करते हुए EVs के उत्पादन और खरीद के लिए सख्त योजना बनाएं।
- वितरण की बजाय संतुलित: 5 वर्षों में 5 शहरों के लिए संतुलित कार्यक्रम डिज़ाइन और शुरू करें।
 - राज्यों में इस कार्यक्रम को प्रबंधित करने के लिए संस्थाएं बनाएं।
 - इसे 20 शहरों तक और फिर 100 शहरों तक बढ़ाएं।
- ई-बस और ई-ट्रक के लिए वित्तपोषण सक्षम करें: सार्वजनिक बजट और बहुपक्षीय संस्थानों के योगदान से एक संयुक्त कोष बनाएं।
 - धन को प्रवाहित करने के लिए उपयुक्त योजना डिज़ाइन और लॉन्च करें।
- नई बैटरी तकनीकों के लिए अनुसंधान को बढ़ाएं: नई बैटरी रसायनों पर अनुसंधान को तीव्र करने के लिए अकादमी-उद्योग-सरकार साझेदारी स्थापित करें।

Source: PIB

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई गवर्नेंस पर वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए दो नई पहल शुरू

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एआई शासन पर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के लिए दो नए संस्थागत तंत्रों के निर्माण के निर्णय की सराहना की है।

परिचय

- ये पैनल हैं: संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई और वैश्विक संवाद ऑन एआई गवर्नेंस।
- इन पैनलों का उद्देश्य एआई के लाभों और जोखिमों पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है।

दो तंत्र

- वैश्विक संवाद ऑन एआई गवर्नेंस:
 - उद्देश्य: राज्यों और हितधारकों के लिए एक समावेशी संयुक्त राष्ट्र मंच।
 - कार्य: आज मानवता के सामने वर्तमान महत्वपूर्ण एआई मुद्दों पर चर्चा करने का मंच।
- संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ऑन एआई:
 - उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक समावेशी बहु-हितधारक मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहाँ सदस्य राष्ट्र, नागरिक समाज, अकादमिक जगत और निजी क्षेत्र एआई की प्रमुख चुनौतियों एवं शासन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
 - वार्षिक सत्र: जुलाई 2026 में जिनेवा और जुलाई 2027 में न्यूयॉर्क में निर्धारित हैं।

महत्व

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा इसे "ऐतिहासिक उपलब्धि" कहा गया है।
- एआई के लाभ और जोखिमों के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

- यह सुनिश्चित करना कि एआई का विकास मानवता की सामूहिक कल्याण के अनुरूप हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कंप्यूटर विज्ञान की एक व्यापक शाखा है, जिसका उद्देश्य ऐसे स्मार्ट मशीनों का निर्माण करना है जो सामान्यतः मानव बुद्धि की आवश्यकता वाले कार्य कर सकें।
- एआई मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुकरण करने या उन्हें बेहतर बनाने की अनुमति देता है।
- स्वचालित कारों के विकास से लेकर ChatGPT जैसे जनरेटिव एआई टूल्स के प्रसार तक, एआई तीव्रता से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है — और प्रत्येक उद्योग इसमें निवेश कर रहा है।

एआई पर नियमों की आवश्यकता क्यों है?

- नैतिक चिंताएं:** एआई सिस्टम ऐसे निर्णय ले सकते हैं और कार्य कर सकते हैं जो व्यक्तियों और समाज को प्रभावित करते हैं।
 - नियमों की स्थापना से एआई के उपयोग से जुड़ी नैतिक चिंताओं को संबोधित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह मानव मूल्यों के अनुरूप हो और मौलिक अधिकारों का सम्मान करे।
- गोपनीयता:** एआई प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करता है।
 - नियम यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि डेटा कैसे एकत्रित, संग्रहीत और उपयोग किया जाए ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा हो सके।
- सुरक्षा:** इसमें संभावित कमजोरियों से सुरक्षा और एआई तकनीक के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से बचाव शामिल है।
- पारदर्शिता:** नियम एआई सिस्टम में पारदर्शिता अनिवार्य कर सकते हैं, जिससे डेवलपर्स को यह प्रकटीकरण करना पड़े कि उनके एल्गोरिदम कैसे कार्य करते हैं।
- प्रतिस्पर्धा और नवाचार:** एक नियामक ढांचा व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकता है और जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

- सार्वजनिक सुरक्षा:** जब एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, परिवहन या सार्वजनिक अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है, तो नियम व्यक्तियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होते हैं।

भारत में एआई का नियमन

- भारत में अभी तक एआई के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है। एआई को वर्तमान कानूनी ढांचों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया जाता है:
 - आईटी अधिनियम, 2000:** साइबर अपराधों और मध्यस्थों की उत्तरदायित्व को कवर करता है।
 - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** डेटा गोपनीयता और सहमति सुनिश्चित करता है।
 - बौद्धिक संपदा अधिकार कानून (कॉपीराइट और पेटेंट अधिनियम):** एआई द्वारा उत्पन्न कार्यों और नवाचार के लिए प्रासंगिक।
- ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI):** भारत GPAI का सदस्य है। 2023 GPAI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहाँ विशेषज्ञों ने उत्तरदायी एआई, डेटा शासन, कार्य का भविष्य, नवाचार एवं व्यावसायीकरण पर अपने कार्य प्रस्तुत किए।
- राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति #AIForAll (नीति आयोग):** इसमें स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, “स्मार्ट” शहरों एवं अवसंरचना, तथा स्मार्ट गतिशीलता व परिवर्तन पर केंद्रित एआई अनुसंधान और विकास दिशानिर्देश शामिल हैं।
- जिम्मेदार एआई के सिद्धांत:** फरवरी 2021 में नीति आयोग ने उत्तरदायी एआई के सिद्धांत जारी किए, जो भारत में एआई समाधान लागू करने से जुड़ी विभिन्न नैतिक विचारों की जांच करता है।

नियमन की चुनौतियाँ

- एआई का तीव्र विकास:** यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिससे भविष्य में भी प्रासंगिक रहने वाले नियम बनाना कठिन हो जाता है।

- नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन: नवाचार को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: प्रभावी एआई नियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है ताकि नियमन का परिदृश्य बिखरा हुआ न हो।
- एआई की परिभाषा: एआई की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, जिससे इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब हमारे साथ है और कार्य करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखती है।
- यह एक अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक है और इसका नियमन आवश्यक है।
- एआई के संभावित खतरों को स्वीकार कर और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह परिवर्तनकारी तकनीक मानवता की सेवा करे और एक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत भविष्य में योगदान दे।

Source: DTE

भारत द्वारा सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी

संदर्भ

- भारतीय सशस्त्र बल संयुक्तता, एकीकरण और थिएटराइजेशन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
 - इसी दिशा में, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित 'रण संवाद' 2025 संगोष्ठी में तीन नई संयुक्त सैन्य सिद्धांतों को मंजूरी दी है।

जारी किए गए संयुक्त सैन्य सिद्धांत

- विशेष बल संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - सेना के पैरा (SF), नौसेना के MARCOS और वायुसेना के गरुड़ को एकीकृत ढांचे में लाता है।

- सामान्य समझ, साझा शब्दावली और मानक संचालन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।
- मुख्य फोकस: संयुक्त प्रशिक्षण से दोहराव को कम करना, भविष्य के हथियार प्रोफाइल को अंतर-संचालन योग्य बनाना, और भूमि, समुद्री व वायु क्षेत्रों में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण संरचना।
- एयरबोर्न और हेलिबोर्न संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - पैरा-ड्रॉप और हेलि-लिफ्ट मिशनों में निर्बाध समन्वय का लक्ष्य।
 - सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच योजना और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
 - उन्नत वायु गतिशीलता संसाधनों (हैवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान) और रीयल-टाइम इंटेलिजेंस के लिए मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) के एकीकरण पर जोर।
- मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स (MDO) के लिए संयुक्त सिद्धांत:
 - भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में एकीकरण पर बल देता है ताकि उन विरोधियों का सामना किया जा सके जो संघर्ष की सीमा से नीचे कार्य करते हैं।
 - उन्नत तकनीकों, नवाचारी संरचनाओं और पूर्णतः नेटवर्कयुक्त संयुक्त अभियानों की आवश्यकता पर बल।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड

- यह एक एकीकृत कमांड है जिसमें सभी सेवाओं के संसाधनों को एक भौगोलिक थिएटर के लिए एक ही कमांडर के अधीन किया जाता है।
- संयुक्त कमांड का कमांडर अपने उद्देश्य के अनुसार प्रशिक्षण एवं उपकरणों की स्वतंत्रता रखेगा और सभी सेवाओं की लॉजिस्टिक्स उसके अधीन होंगी।
 - तीनों सेवाएं अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेंगी।
- लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन कमांड की सिफारिश की थी:
- उत्तरी कमान चीन से आने वाले खतरों से निपटने के लिए।

- पश्चिमी कमान पाकिस्तान से आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए।
- दक्षिणी कमान समुद्री हितों की रक्षा के लिए।
- वर्तमान संरचना:
 - कुल 17 अलग-अलग कमांड: सेना (7), वायुसेना (7), नौसेना (3)।
 - प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, हालांकि व्यापक स्तर पर CDS (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) के समन्वय में।
 - दो एकीकृत कमांड भी हैं:
 - अंडमान और निकोबार कमांड (ANC)
 - स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) — जो परमाणु संसाधनों के लिए उर्ददायी उत्तरदायी है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में

- चीफस ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) के स्थायी अध्यक्ष।
- रक्षा मंत्री के लिए त्रि-सेवा मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार।
- प्रमुख भूमिका:
 - संयुक्तता और थिएटराइजेशन को बढ़ावा देना।
 - क्षमता विकास और खरीद को एकीकृत करना।
 - सेना, नौसेना, वायुसेना और नागरिक नेतृत्व के बीच समन्वय स्थापित करना।

Source: [TH](#)

संक्षिप्त समाचार

ग्लैंडर्स पर संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना

समाचार में

- मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लैंडर्स पर एक संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई।

ग्लैंडर्स

- यह एक संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है जो मुख्य रूप से घोड़ों, गधों या खच्चरों को प्रभावित करती है और बर्कहोल्डरिया मैलेर्इ नामक जीवाणु के कारण होती है।
 - यह मनुष्यों में भी फैल सकती है।
- यह संक्रमित मांस के माध्यम से मांसाहारी जानवरों में फैलती है और मनुष्यों में भी फैल सकती है, जिससे नाक, फेफड़ों या सेप्टिक संक्रमण जैसे विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं।
- उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में इसका उन्मूलन हो चुका है, लेकिन एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में यह अभी भी छिटपुट रूप से पाया जाता है।
- ग्लैंडर्स पशुओं में संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (पीसीआईसीडीए) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिसूचित है।

Source :PIB

संवत्सरी

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवत्सरी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दीं और इसे क्षमा और करुणा का प्रतीक बताया।

संवत्सरी

- यह जैन पर्युषण पर्व का पवित्र समापन दिवस है, जो क्षमा, करुणा और मेल-मिलाप के विषयों पर प्रकाश डालता है।
- यह पर्व विनम्रता, दया और संबंधों को सुदृढ़ करने का संदेश देता है, और लोगों से इन मूल्यों को अपनाने का आग्रह करता है।
- इस दिन, जैन धर्म के अनुयायी पारंपरिक रूप से “मिच्छामी दुक्कड़म्” कहते हैं, जिसमें किसी भी हानि के लिए क्षमा मांगना और उसे स्वीकार करना, आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देना शामिल है।

- पर्युषण आध्यात्मिक चिंतन और त्याग का एक जैन पर्व है। यह श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन संप्रदायों द्वारा मनाया जाता है।

Source :PIB

शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+)

समाचार में

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़े स्कूली बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) स्थिति को UDISE+ प्रणाली में एकीकृत करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी की है।

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+)

- यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है।
- यह एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है जो संबंधित स्कूलों को अपनी प्रोफ़ाइल (बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ), व्यक्तिगत छात्रों और शिक्षकों के विवरण से संबंधित डेटा को कुशलतापूर्वक रिकॉर्ड करने एवं प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
- यह डेटा कई प्रशासनिक स्तरों पर सत्यापित और मॉनिटर किया जाता है, जिससे UDISE+ मंत्रालय के लिए आधिकारिक शिक्षा आँकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक बन जाता है।

Source : [PIB](#)

पीएम स्वनिधि का पुनर्गठन और विस्तार

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि ऋण योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसमें इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है और ऋण राशि में वृद्धि की गई है।

परिचय

- पृष्ठभूमि:**
 - शुरुआत:** जून 2020, सरकार के COVID-19 आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में।
 - उद्देश्य:** महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को सुलभ कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना।

हालिया अपडेट्स:

- विस्तार:** ऋण देने की अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है।
- क्रियान्वयन एजेंसियां:** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग।
- पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताएं:**
 - वृद्धित ऋण राशि:** पहले और दूसरे चरण में उच्च ऋण सीमा।
 - डिजिटल सशक्तिकरण:** दूसरे ऋण की चुकौती के बाद लाभार्थियों को UPI-संलग्न RuPay क्रेडिट कार्ड।
 - कैशबैंक प्रोत्साहन:** डिजिटल खुदरा और थोक लेन-देन पर कैशबैंक।
 - विस्तारित कवरेज:** वैधानिक नगरों से आगे अब यह जनगणना नगरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को क्रमिक रूप से सम्मिलित करता है।

महत्व

- व्यवसाय विस्तार के लिए विश्वसनीय वित्त उपलब्ध कराता है।
- विक्रेताओं के बीच डिजिटल समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है।
- रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।
- सतत आजीविका सृजन का समर्थन करता है।

Source: [IE](#)

ब्राउन ड्वार्फ्स

संदर्भ

- एक नई अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिल्की वे में एक अत्यंत दुर्लभ चौगुना तारा प्रणाली की खोज की है।
 - यह प्रणाली — जिसे UPM J1040-3551 AabBab के नाम से जाना जाता है — दो शीत ब्राउन ड्वार्फ्स द्वारा दो युवा रेड ड्वार्फ सितारों की परिक्रमा करने वाली संरचना है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी।

ब्राउन ड्वार्फ्स क्या हैं?

- ब्राउन ड्वार्फ्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें कुछ विशेषताएं तारों जैसी होती हैं और कुछ ग्रहों जैसी।
 - ▲ ये वस्तुएं गैस और धूल के बादलों के संकुचन से तारों की तरह बनती हैं।
 - ▲ हालांकि, इनमें इतना द्रव्यमान नहीं होता कि वे हाइड्रोजन का स्थायी संलयन कर सकें — वही प्रक्रिया जो तारों को उष्ण करती है और चमक प्रदान करती है।
 - ▲ इसी कारण इन्हें प्रायः “विफल तारे” कहा जाता है।
- इनका वातावरण बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव ग्रहों के समान होता है।
 - ▲ इनके वातावरण में बादल और H₂O जैसे अणु हो सकते हैं।
 - ▲ ब्राउन ड्वार्फ्स का द्रव्यमान बृहस्पति से 70 गुना तक अधिक हो सकता है।
- **महत्व**
 - ▲ ये खगोलविदों को यह समझने में सहायता करते हैं कि तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए कौन-से परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं।
 - ▲ ब्राउन ड्वार्फ्स की मात्रा और वितरण का निर्धारण ब्रह्मांड में द्रव्यमान के वितरण की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

Source: [IE](#)

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने दिल्ली के मॉर्फोलॉजिकल रिज क्षेत्र में एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूखंड पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) मुख्यालय के निर्माण को सशर्त मंजूरी दी है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)

- NDRF गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत एक विशेषीकृत बल है, जो भारत में आपदा प्रतिक्रिया के लिए समर्पित है।
- इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना के बाद किया गया था।

संरचना:

- ▲ कुल 16 बटालियन, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल्स से प्रतिनियुक्ति पर ली जाती हैं।
- **अधिदेश और भूमिका:**
 - ▲ यह प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (CBRN) आपात स्थितियों का प्रत्युत्तर देती है।
 - ▲ आसन्न आपदाओं के दौरान “सक्रिय तैनाती” और “पूर्व-स्थिति निर्धारण” पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि जान-माल की हानि को न्यूनतम किया जा सके।
- **आदर्श वाक्य:**
 - ▲ “आपदा सेवा सदैव सर्वत्र” (Disaster service always, everywhere)

Source: [IE](#)

अभ्यास ब्राइट स्टार 2025

संदर्भ

- 700 से अधिक भारतीय सशस्त्र बल कर्मी ब्राइट स्टार अभ्यास 2025 में भाग लेने के लिए तैयार हैं।

अभ्यास के बारे में

- ब्राइट स्टार अभ्यास 1980 से मिस्र द्वारा अमेरिका के साथ मिलकर आयोजित किया जाने वाला एक बहुपक्षीय अभ्यास है और इस क्षेत्र में सबसे बड़े त्रि-सेवा बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है।
- यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, जिसका विगत संस्करण 2023 में हुआ था, जिसमें भारत सहित कई देशों ने अपने सैनिकों के साथ भाग लिया था।

महत्व

- इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बलों की भागीदारी क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही मित्र देशों के साथ संयुक्तता, अंतर-संचालन और सहयोग को बढ़ाती है।

Source: [PIB](#)